

## प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 04 अगस्त, 2023

### **मंत्रिमण्डल/मंत्रिपरिषद की बैठक में दिया गया नवीन जिलों के गठन को अंतिम रूप**

- दिनांक 04.08.2023 को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित मंत्रिमण्डलीय बैठक में नवगठित जिलों के सीमांकन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन नवीन जिलों से राज्य के विकास को एक नई गति मिलेगी तथा आमजन की सुगमता बढ़ेगी।
- नवीन जिलों के गठन से विकास संबंधी योजनाओं की क्रियान्विति तथा मोनिटरिंग और अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी, जिससे आमजन को सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और सेवाओं का लाभ शीघ्र मिल सकेगा। प्रदेश के पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकार की पहुंच और अधिक सुगम होगी, जिससे इनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो सकेगा। राजस्व एवं दीवानी न्यायालयों की दूरियां घटने से इनमें लम्बित मामलों का त्वरित निस्तारण हो सकेगा तथा कानून व्यवस्था पर अधिक प्रभावी नियंत्रण हो पायेगा।
- अतः आमजन का जिला प्रशासन एवं सरकार से संवाद बढ़ेगा, जिससे जन अभाव अभियोगों का निराकरण और शीघ्रता एवं सुगम रूप से हो सकेगा। इन नवीन जिलों का गठन राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जा रहे सुशासन (गुड गवर्नेन्स) को और अधिक गति देने में एक मील का पत्थर साबित होगा।
- वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा की पालना में दिनांक 21.03.2022 को नये जिले बनाने के संबंध में आवश्यकता का आंकलन कर अभिशंषा देने हेतु श्री रामलुभाया, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। उक्त कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बजट 2023-24 में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के समय दिनांक 17.03.2023 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश में संवेदनशील, जबाबदेही एवं पारदर्शी प्रशासन की सरकार की प्रतिबद्धता की दिशा में कदम उठाते हुये 19 नवीन जिलों एवं 3 नवीन संभागों के गठन की घोषणा की गई थी।
- समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिलों की घोषणा के पश्चात विभिन्न जिलों के सीमांकन के संबंध में जनप्रतिनिधियों, आमजन एवं विभिन्न संगठनों से जिलों की सीमाओं के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुये। प्राप्त अभ्यावेदनों को राज्य सरकार द्वारा समिति को प्रेषित करते हुये जिलों की सीमाओं के संबंध में पुनः परीक्षण करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।
- इस बार के बजट में 19 जिलों की घोषणा की गई थी। इस क्रम में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त ज्ञापनों/मांगों को समिति को प्रेषित किये जाने पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा इनका पुनः परीक्षण किया गया।

अंतरिम रिपोर्ट के पश्चात समिति एवं राज्य सरकार को प्राप्त प्रतिवेदनों के परीक्षण उपरान्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 02.08.2023 राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई। समिति की रिपोर्ट पर मंत्रीमण्डल की बैठक दिनांक 04.08.2023 में विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त मंत्रीमण्डल द्वारा उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा अनुसार कुल 19 जिलों एवं 3 संभागों के गठन का अनुमोदन किया गया।

- नये जिलों के सीमांकन की अधिसूचना राजस्व विभाग द्वारा जारी की जायेगी।

नवगठित जिले—

1. अपूनगढ़
2. बालोतरा
3. ब्यावर
4. डीग
5. डीडवाना कुचामन
6. दूदू
7. गंगापुरसिटी
8. जयपुर
9. जयपुर (ग्रामीण)
10. केकड़ी
11. जोधपुर
12. जोधपुर (ग्रामीण)
13. कोटपूतली बहरोड़
14. खैरथल तिजारा
15. नीम का थाना
16. फलौदी
17. सलूमबर
18. सांचौर
19. शाहपुरा

नवीन जिलों के गठन के लिये 18 वर्तमान जिलों का पुनर्गठन भी किया गया है। नवीन गठित एवं पुनर्गठित जिले निम्न प्रकार है :-

**जिलों का गठन/पुनर्गठन**

1. **अनूपगढ़**— श्रीगंगानगर एवं बीकानेर जिलों का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला अनूपगढ़ गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय अनूपगढ़ होगा।

नवगठित अनूपगढ़ जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है :-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
अनूपगढ़	1. अनूपगढ़	अनूपगढ़
	2. रायसिंहनगर	रायसिंहनगर
	3. श्रीविजयनगर	श्रीविजयनगर
	4. घडसाना	घडसाना
		रावला
	5. छत्तरगढ़	छत्तरगढ़
6. खाजूवाला	खाजूवाला	

2. **श्रीगंगानगर**— पुनर्गठित श्रीगंगानगर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
श्रीगंगानगर	1. श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
	2. श्रीकरणपुर	श्रीकरणपुर
	3. सूरतगढ़	सूरतगढ़
	4. सार्दुलशहर	सार्दुलशहर
	5. पदमपुर	पदमपुर
गजसिंहपुर		

3. **बीकानेर**— पुनर्गठित बीकानेर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
बीकानेर	1. बीकानेर	बीकानेर
	2. लूणकरनसर	लूणकरनसर
	3. नोखा	नोखा
	4. पूंगल	पूंगल
	5. श्रीडूंगरगढ़	श्रीडूंगरगढ़
	6. कोलायत	कोलायत
		हदा
7. बज्जू	बज्जू	

4. **बालोतरा**—बाड़मेर जिले का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला बालोतरा गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय बालोतरा होगा।

नवगठित बालोतरा जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है :-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
बालोतरा	1. बालोतरा	पचपदरा
		कल्याणपुर
	2. सिवाना	सिवाना
		समदड़ी
3. बायतु	बायतु	
	गिड़ा	
4. सिणधरी	सिणधरी	

5. **बाड़मेर**—पुनर्गठित बाड़मेर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
बाड़मेर	1. बाड़मेर	बाड़मेर
		बाड़मेर ग्रामीण
		बाटाडू
	2. गड़रारोड़	गड़रारोड़
	3. रामसर	रामसर
	4. चौहटन	चौहटन
		धनाउ
	5. धोरीमन्ना	धोरीमन्ना
6. गुड़ामालानी	गुड़ामालानी	
	नोखडा	
7. सेडवा	सेडवा	
8. शिव	शिव	

6. **डीडवाना—कुचामन**—नागौर जिले का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला डीडवाना—कुचामन गठित किया जाता है।

मिनी सचिवालय भवन के तैयार होने तक मुख्यालय अस्थाई रूप से डीडवाना रहेगा।

नवगठित डीडवाना—कुचामन जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है :-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
डीडवाना—कुचामन	1. डीडवाना	डीडवाना
		मौलासर
		छोटी खाटू
	2. लाडनूं	लाडनूं
	3. परबतसर	परबतसर
	4. मकराना	मकराना
5. नावां	नावां	
6. कुचामनसिटी	कुचामनसिटी	

7. **नागौर**—पुनर्गठित नागौर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
नागौर	1. नागौर	नागौर
	2. मूण्डवा	मूण्डवा
	3. खींवसर	खींवसर
	4. जायल	जायल
		डेह
	5. मेड़ता	मेड़ता
	6. रियांबड़ी	रियांबड़ी
7. डेगाना	डेगाना	
	सांजू	

8. **डीग**—भरतपुर जिले का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला डीग गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय डीग होगा।

नवगठित डीग जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है :-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
डीग	1. डीग	डीग
		जनुथर
	2. कुम्हेर	कुम्हेर
		रारह
	3. नगर	नगर
	4. सीकरी	सीकरी
	5. कामां	कामां
		जुरहरा
6. पहाड़ी	पहाड़ी	

9. **भरतपुर**— पुनर्गठित भरतपुर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
भरतपुर	1. भरतपुर	भरतपुर
	2. बयाना	बयाना
	3. वैर	वैर
	4. भुसावर	भुसावर
	5. रूपवास	रूपवास
		रुदावल
	6. उच्चैन	उच्चैन
	7. नदबई	नदबई

10. **फलौदी**—जोधपुर जिले का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला फलौदी गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय फलौदी होगा।

नवगठित फलौदी जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है :-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
फलौदी	1. फलौदी	फलौदी
	2. लोहावट	लोहावट
	3. आऊ	आऊ
	4. देचू	देचू
		सेतरावा
	5. बाप	बाप
		घंटियाली
6. बापिणी	बापिणी	

11. जोधपुर—जोधपुर जिले का पुनर्गठन कर जोधपुर जिला गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय जोधपुर होगा।

जोधपुर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
जोधपुर	1- जोधपुर उत्तर	जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग
	2- जोधपुर दक्षिण	जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग

12. जोधपुर (ग्रामीण)— जोधपुर जिले का पुनर्गठन कर जोधपुर (ग्रामीण) जिला गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय जोधपुर होगा।

जोधपुर (ग्रामीण) जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
जोधपुर (ग्रामीण)	1- जोधपुर उत्तर	तहसील जोधपुर का नगर निगम जोधपुर के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग
	2- जोधपुर दक्षिण	तहसील जोधपुर का नगर निगम जोधपुर के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग
		कुडीभक्तासनी
	3- लूणी	लूणी
		झंवर
	4- बिलाडा	बिलाडा
	5- भोपालगढ	भोपालगढ
	6- पीपाडसिटी	पीपाडसिटी
	7- ओसियाँ	ओसियाँ
		तिवरी
8- बावडी	बावडी	
9- शेरगढ	शेरगढ	
10- बालेसर		बालेसर
		सेखला
		चामू

13. गंगापुरसिटी— सवाईमाधोपुर एवं करौली जिलों का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला गंगापुरसिटी गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय गंगापुरसिटी होगा।

नवगठित गंगापुरसिटी जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है :-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
गंगापुरसिटी	1. गंगापुरसिटी	गंगापुरसिटी
		तलावडा
	2. वजीरपुर	वजीरपुर
3. बामनवास	बामनवास	

		बरनाला
	4. टोडाभीम	टोडाभीम
	5. नादोती	नादोती

14. सवाई माधोपुर—पुनर्गठित सवाईमाधोपुर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
सवाई माधोपुर	1. सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
	2. खण्डार	खण्डार
	3. चौथ का बरवाड़ा	चौथ का बरवाड़ा
	4. बाँली	बाँली
		मित्रपुरा
5. मलारनाडूंगर	मलारनाडूंगर	

15. करौली—पुनर्गठित करौली जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
करौली	1. करौली	करौली
		मासलपुर
	2. सपोटरा	सपोटरा
	3. मण्डरायल	मण्डरायल
	4. हिण्डौन	हिण्डौन
		सुरौठ
		श्रीमहावीरजी

16. दूदू—जयपुर जिले का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला दूदू गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय दूदू होगा।

नवगठित दूदू जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है :-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
दूदू	1. मौजमाबाद	मौजमाबाद
	2. दूदू	दूदू
	3. फागी	फागी

17. जयपुर — जयपुर जिले का पुनर्गठन कर जयपुर जिला गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय जयपुर होगा।

जयपुर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
जयपुर	1- जयपुर	जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर (हेरीटेज) एवं नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) के अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग तहसील कालवाड का नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) के

		अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग
	2. आमेर	तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर (हेरीटेज) के अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग
	3. सांगानेर	तहसील सांगानेर का नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) के अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग

18. **जयपुर (ग्रामीण)**— जयपुर जिले का पुनर्गठन कर जयपुर (ग्रामीण) जिला गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय जयपुर होगा।  
जयपुर (ग्रामीण) जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
जयपुर (ग्रामीण)	1. जयपुर	तहसील जयपुर का नगर निगम जयपुर (हेरीटेज) एवं नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग
		तहसील कालवाड का नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग
	2. सांगानेर	तहसील सांगानेर का नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग
	3. आमेर	तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर (हेरीटेज) के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग
		जालसू
	4. बस्सी	बस्सी
		तूंगा
	5. चाकसू	चाकसू
		कोटखावदा
	6. जमवारामगढ	जमवारामगढ
		आंधी
	7. चौमू	चौमू
	8. सांभरलेक	फुलेरा मु.-सांभरलेक
9. माधोराजपुरा	माधोराजपुरा	
10. रामपुरा डाबडी	रामपुरा डाबडी	
11. किशनगढ रेनवाल	किशनगढ रेनवाल	
12. जोबनेर	जोबनेर	
13. शाहपुरा	शाहपुरा	

19. **कोटपूतली-बहरोड**— जयपुर एवं अलवर जिलों का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला कोटपूतली-बहरोड गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय कोटपूतली-बहरोड होगा।

नवगठित कोटपूतली-बहरोड जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है :-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
कोटपूतली-बहरोड	1. बहरोड	बहरोड



	2. बानसूर	बानसूर
	3. नीमराना	नीमराना मांडण
	4. नारायणपुर	नारायणपुर
	5. कोटपूतली	कोटपूतली
	6. विराटनगर	विराटनगर
	7. पावटा	पावटा

20. अलवर—पुनर्गठित अलवर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
अलवर	1. अलवर	अलवर
	2. गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़
	3. रैणी	रैणी
	4. लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़
	5. मालाखेड़ा	मालाखेड़ा
	6. राजगढ़	राजगढ़
		टहला
	7. रामगढ़	रामगढ़
		नौगावा
8. थानागाजी	थानागाजी	
	प्रतापगढ़	
9. कटूमर	कटूमर	

21. खैरथल-तिजारा— अलवर जिले का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला खैरथल तिजारा गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय खैरथल होगा।

नवगठित खैरथल तिजारा जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है :-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
खैरथल तिजारा	1. तिजारा	तिजारा
	2. किशनगढ़बास	किशनगढ़बास
		खैरथल
	3. कोटकासिम	कोटकासिम
		हरसोली
4. टपूकडा	टपूकडा	
5. मुंडावर	मुंडावर	

22. नीम का थाना—सीकर एवं झुन्झुनू जिलों का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला नीम का थाना गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय नीम का थाना होगा।

नवगठित नीम का थाना जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है :-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
नीम का थाना	1. नीम का थाना	नीम का थाना
		पाटन

	2. श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर
	3. उदयपुरवाटी	उदयपुरवाटी
	4. खेतड़ी	खेतड़ी

23. झुन्झुनू—पुनर्गठित झुन्झुनू जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
झुन्झुनू	1. झुन्झुनू	झुन्झुनू गुढागौडजी
	2. नवलगढ	नवलगढ
	3. बुहाना	बुहाना
	4. चिडावा	चिडावा
	5. मण्डावा	मण्डावा बिसाऊ
	6. मलसीसर	मलसीसर
	7. सूरजगढ	सूरजगढ पिलानी

24. सीकर—पुनर्गठित सीकर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
सीकर	1. फतेहपुर	फतेहपुर
	2. रामगढ शेखावाटी	रामगढ शेखावाटी
	3. लक्ष्मणगढ	लक्ष्मणगढ
	4. नेछवा	नेछवा
	5. सीकर	सीकर
	6. धोद	धोद सीकर ग्रामीण
	7. दातारामगढ	दातारामगढ
	8. खण्डेला	खण्डेला
	9. रींगस	रींगस

25. ब्यावर—अजमेर, पाली, राजसमंद एवं भीलवाडा जिलों का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला ब्यावर गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय ब्यावर होगा।

नवगठित ब्यावर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है :-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
ब्यावर	1. ब्यावर	ब्यावर
	2. टाटगढ	टाटगढ
	3. जैतारण	जैतारण
	4. रायपुर	रायपुर
	5. मसूदा	मसूदा विजयनगर

	6 बदनोर	बदनोर
--	---------	-------

26. अजमेर—पुनर्गठित अजमेर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
अजमेर	1. अजमेर	अजमेर
	2. पुष्कर	पुष्कर
	3. पीसांगन	पीसांगन
	4. नसीराबाद	नसीराबाद
	5. किशनगढ़	किशनगढ़
	6. रूपनगढ़	रूपनगढ़
	7. अराई	अराई

27. पाली—पुनर्गठित पाली जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
पाली	1. सोजत	सोजत
	2. मारवाड जंक्शन	मारवाड जंक्शन
	3. सुमेरपुर	सुमेरपुर
	4. बाली	बाली
	5. पाली	पाली
	6. रोहट	रोहट
	7. देसूरी	देसूरी
	8. रानी	रानी

28. केकड़ी— अजमेर एवं टोंक जिलों का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला केकड़ी गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय केकड़ी होगा।

नवगठित केकड़ी जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है :-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
केकड़ी	1. केकड़ी	केकड़ी
	2. सावर	सावर
	3. भिनाय	भिनाय
	4. सरवाड़	सरवाड़
		टांटोटी
5. टोडारायसिंह	टोडारायसिंह	

29. टोंक— पुनर्गठित टोंक जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	उपखण्ड	तहसीलें
टोंक	1. टोंक	टोंक
	2. देवली	देवली
		नगरफोर्ट
	दूनी	

	3. निवाई	निवाई
	4. पीपलू	पीपलू
	5. उनियारा	उनियारा अलीगढ
	6. मालपुरा	मालपुरा

30. **सलूमबर**—उदयपुर जिले का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला सलूमबर गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय सलूमबर होगा।

नवगठित सलूमबर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है :-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
सलूमबर	1. सराड़ा	सराड़ा
	2. सेमारी	सेमारी
	3. लसाड़िया	लसाड़िया
	4. सलूमबर	सलूमबर झल्लारा

31. **उदयपुर**—पुनर्गठित उदयपुर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
उदयपुर	1. गिर्वा	गिर्वा कुराबड़
	2. बडगाँव	बडगाँव
	3. कोटड़ा	कोटड़ा
	4. गोगुन्दा	गोगुन्दा सायरा
	5. झाड़ोल	झाड़ोल फलासिया
	6. मावली	मावली घासा
	7. ऋषभदेव	ऋषभदेव
	8. वल्लभनगर	वल्लभनगर
	9. भीण्डर	भीण्डर कानोड
	10. खैरवाडा	खैरवाडा
	11. नयागाँव	नयागाँव

32. **सांचौर**— जालोर जिले का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला सांचौर गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय सांचौर होगा।

नवगठित सांचौर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है :-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
सांचौर	1. सांचौर	सांचौर
	2. बागौडा	बागौडा

	3. चितलवाना	चितलवाना
	4. रानीवाड़ा	रानीवाड़ा

33. जालोर—पुनर्गठित जालोर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
जालोर	1. जालोर	जालोर
	2. आहोर	आहोर
		भाद्राजून
	3. सायला	सायला
	4. भीनमाल	भीनमाल
5. जसवन्तपुरा	जसवन्तपुरा	

34. शाहपुरा—भीलवाड़ा जिले का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला शाहपुरा गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय शाहपुरा होगा।

नवगठित शाहपुरा जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है :-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
शाहपुरा	1. शाहपुरा	शाहपुरा
	2. जहाजपुर	जहाजपुर
		काछोला
	3. फूलियाकलां	फूलियाकलां
	4. बनेडा	बनेडा
5. कोटडी	कोटडी	

35. भीलवाड़ा—पुनर्गठित भीलवाड़ा जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

जिला	नाम उपखण्ड	तहसीलें
भीलवाड़ा	1. माण्डलगढ	माण्डलगढ
	2. बिजौलिया	बिजौलिया
	3. भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
		सवाईपुर
	4. रायपुर	रायपुर
	5. गंगापुर	सहाडा
	6. आसीन्द	आसीन्द
	7. करेडा	करेडा
	8. हमीरगढ	हमीरगढ
	9. माण्डल	माण्डल
10. गुलाबपुरा	हुरडा	
	अन्टाली	

19 नवीन जिलों के गठन एवं पुनर्गठन के फलस्वरूप राज्य में जिलों की कुल संख्या 50 हो गयी है।

- डीडवाना कुचामन जिले में मिनी सचिवालय भवन तैयार होने तक जिला कलक्टर कार्यालय अस्थाई रूप से डीडवाना से संचालित किया जायेगा।

- राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भिवाडी मुख्यालय पर वर्तमान में स्थापित जिला स्तरीय कार्यालय यथा पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र आदि यथावत कार्य करते रहेंगे।

### संभागों का गठन/पुनर्गठन

समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान जयपुर संभाग में से सीकर, जोधपुर संभाग में से पाली एवं उदयपुर संभाग में से बांसवाड़ा कुल 3 नये संभागों का गठन किया जाकर संभागों का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	संभाग का नाम	जिले
1	जयपुर	1.जयपुर, 2. जयपुर (ग्रामीण), 3. दूदू, 4. कोटपूतली-बहरोड, 5. दौसा, 6. खैरथल, 7. अलवर
2	सीकर	1.सीकर, 2. झुन्झुनूं, 3. नीम का थाना, 4. चूरू
3	बीकानेर	1.बीकानेर, 2. श्रीगंगानगर, 3. हनुमानगढ़, 4. अनूपगढ़
4	अजमेर	1.अजमेर, 2. ब्यावर, 3. केकड़ी, 4. टोंक, 5. नागौर, 6. डीडवाना-कुचामन, 7. शाहपुरा
5	भरतपुर	1.भरतपुर, 2. धौलपुर, 3. करौली, 4. डीग, 5. गंगापुरसिटी, 6. सवाई माधोपुर
6	कोटा	1.कोटा, 2. बून्दी, 3. बारां, 4. झालावाड़
7	जोधपुर	1.जोधपुर, 2. जोधपुर (ग्रामीण) 3. फलौदी, 4. जैसलमेर, 5. बाड़मेर, 6. बालोतरा
8	पाली	1.पाली, 2. जालौर, 3. सांचौर, 4. सिरोही
9	उदयपुर	1.उदयपुर, 2. चित्तौड़गढ़, 3. भीलवाड़ा, 4. राजसमंद, 5. सलूम्वर
10	बांसवाड़ा	1. बांसवाड़ा, 2. डूंगरपुर, 3. प्रतापगढ़,

